"निर्धनता दैवीय श्राप नहीं अपितु मानवीय सृष्टि है - महात्मा गाँधी"

समूह शक्ति

जयपुर | माह - दिसम्बर 2013 - जनवरी 2014 | वर्ष - एक | अंक - 8 | मासिक समाचार पत्र

आजीविका संवर्धन से मिला जीवन का आधार

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री रमेश बैरवा ग्राम चादंसिंहपुरा, ब्लॉक देवली, जिला टोंक की निवासी हैं। 26 वर्षीय सुनीता देवी राजीविका द्वारा संचालित राजस्थान ग्रामीण आाजीविका परियोजना के अन्तर्गत दुणजा माता महिला समूह एवं उत्थान संस्थान – ज्योतिसना महिला संकुल, चांदसिंहपुरा की सदस्य हैं। आज सुनीता देवी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका संवर्धन राशि प्राप्त कर अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं।

आजीविका संवर्धन राशि प्राप्त होने से पूर्व श्रीमती सुनीता देवी के परिवार को अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि कार्य, पशुपालन व मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता था। अपने परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मजदूरी के लिए जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। वे चाहकर भी शिक्षा की मुख्य धारा से नही जुड़ पा रहे थे। परिवार को आवश्यक जरूरतों के समय अन्य स्त्रोतों से राशि उधार लेना पड़ता था एवं उसका ब्याज भी इतना अधिक होता था कि उसे चुकाने के लिए पूरे परिवार को मजदूरी व पशुपालन के कार्य में निरन्तर मेहनत करनी पड़ती थी। जिसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य आवश्यकताओं पर इतना गहरा पड़ता था कि सुनीता देवी की अपने परिवार के बेहतर भविष्य की आशा समाप्त होने लगी थी। उन्हें लगता कि वे कभी इन परिस्थितियों से निकल कर एक गौरवमय जीवन यापन नही कर पायेगें।

समूह सदस्य श्रीमती सुनीता देवी ने बताया कि ''राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संचालित परियोजना में हमारे समूह को जोड़कर परियोजना के बारे में बताया तभी मैने यह विचार किया कि मैं समूह के माध्यम से परियोजना से लाभ प्राप्त कर व इससे निरन्तर जुड़कर अपने परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ।''

श्रीमती सुनीता देवी ने बताया कि उत्थान संस्थान के माध्यम से दुणजा माता महिला समूह का आजीविका संवर्धन सूक्ष्म योजना (MCLP) बनायी गयी, जिसमें समूह की सभी सदस्यों द्वारा अपनी आजीविका बढ़ाने हेतु गतिविधियों के बारे में योजना

तैयार की गयी। सदस्यों द्वारा MCLP तैयार कर सदस्यों ने अपनी आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता निर्धारित की। मैंने भी परचून की दुकान खोलने का प्रस्ताव रखा। जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, टोंक द्वारा समूह को अगस्त, 2013 में आजीविका संवर्धन राशि (ट्रेन्च–2) जारी की गयी। समूह द्वारा मुझे भी आजीविका संवर्धन राशि के रूप में 23,000/– रूपये का ऋण दिया गया व यह राशि 23 मासिक किश्तों में समूह द्वारा निर्धारित ब्याज के अनुसार वापस करना तय किया गया। मैंने ऋण राशि प्राप्त कर अपनी योजना के अनुसार परचून की दुकान खोली। अपनी दुकान से वर्तमान में मासिक रूप से 3000/– रू की आय कर रही हूँ व ऋण की 2 किश्तें ब्याज सहित समूह में जमा करवा चुकी हूँ। सुनीता देवी बताती हैं कि ''परियोजना से आजीविका संवर्धन ऋण राशि प्राप्त कर मैं माह में अपनी दुकान से जो आय प्राप्त करती हूँ उससे ऋण की राशि चुकाने के साथ ही परिवार की आवश्यक जरूरतों को भी पूरा कर रही हूँ। अब मुझे अन्य स्त्रोतों से उधार लेने की आवश्यकता नही है, क्योंकि मैं समूह से प्राप्त ऋण राशि वापस चुका कर पुनः अपनी आवश्यकता हेतु ऋण ले पाऊँगी व आगामी समय में अपनी गरीब स्थिति से उभर कर एक सम्मान व गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूँगी।

प्रह्लाद रावत
जिला परियोजना प्रबन्धक, राजीविका, टोंक।

60 दिवसीय कार्ययोजना क्रियान्वयन पर चर्चा हेतु डी.पी.एम. की बैठक

जयपुर – राज्य सरकार द्वारा 60 दिवसीय कार्य योजना के तहत परिषद को दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से 60 दिवसीय कार्य योजना तैयार कर जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। कार्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई क्रियान्वयन रणनीति पर चर्चा हेतु 2 जनवरी 2014 को परिषद् के मुख्यालय में जिला परियोजना प्रबन्धकों की बैठक आयोजित की गई। स्टेट मिशन डायरेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुख्यालय के समस्त अधिकारियों तथा डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द व कोटा जिले के जिला परियोजना प्रबन्धकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिला परियोजना प्रबन्धकों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जनवरी व फरवरी माह में अपने जिले में को–ऑप्शन की संभावना, अपेक्षित समूह गठन व आबंटित लक्ष्य पूर्ण करने की रणनीति प्रस्तुत की। कार्यशाला के अंत में स्टेट मिशन डायरेक्टर श्री सुबीर कुमार द्वारा सभी जिला परियोजना प्रबन्धकों को निर्देश दिया गया कि वे 60 दिवसीय कार्य योजना अन्तर्गत आबंटित लक्ष्यों की प्राप्ति की सुनिश्चितता करेंगें; इस हेतु परिषद् मुख्यालय स्तर से जिलों को आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।

60 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

वर्ष 2014 में जनवरी व फरवरी माह के लिये 'टास्क फोर्स ऑन को–ऑप्शन एड एम सी एल पी' द्वारा 660 दिवसीय कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य के 25 जिलों में स्वयं सहायता समूहों के गठन, बैंक में खाते खुलवाना, ट्रांच–1 व ट्रांच–2 जारी करने सम्बन्धी निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

- 25 जिलों में 8000 स्वय सहायता समूहों का गठन व को–ऑप्शन।
- 5600 समूहो के बैक में खाते खुलवाना।
- 5050 समूहों को ट्रांच–1 जारी करना।
- 2690 समूहों के (डब्ल्च) तैयार करना।
- 2215 समूहों को ट्रांच–2 जारी करना।

राजीविका के अन्तर्गत उदयपुर में प्रथम एरिया फेडरेशन का गठन

उदयपुर – परिषद द्वारा संचालित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले के झाड़ोल कलस्टर में पहली एरिया फेडरेशन का गठन दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को किया गया। एरिया फेडरेशन का नाम "झाड़ोल एरिया फेडरेशन" रखा गया है तथा इसका मुख्यालय झाड़ोल होगा।

एरिया फेडरेशन में श्रीमती नानी बाई को अध्यक्ष, श्रीमती सकुबाई को उपाध्यक्ष, श्रीमती मीरा देवी को सचिव तथा श्रीमती विमला देवी को कोषाध्याक्ष मनोनीत करते हुए सर्वसम्मति से 10 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर एरिया फेडरेशन संबधित प्रथम स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

झाड़ोल एरिया फेडरेशन के अन्तर्गत वर्तमान में 10 उत्थान संस्थान 128 स्वयं सहायता समूह तथा 1298 गरीब परिवारों के सदस्य हैं। फेडरेशन का मुख्य कार्य सदस्यो को वित्तीय सेवायें प्रदान करना, वित्तीय संस्थानों से लिंकेज सदस्यों का क्षमता वर्धन, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं, शिक्षा आदि के प्रति जागरूक करना तथा बुक कीपर, कम्युनिटी मोबलाईज़र आदि को प्रशिक्षण देना है।

आर. के. अग्रवाल
जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, उदयपुर।

प्रमुख शासन सचिव द्वारा परियोजनाओं की समीक्षा

जयपुर – 10 जनवरी 2014 को इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित बैठक में श्री श्रीमत् पांडे, प्रमुख शासन सचिव (ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग) द्वारा आर.आर.एल.पी, एन.आर.एल.एम., एन.आर.एल. पी. तथा एम्पॉवर परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में स्टेट मिशन डायरेक्टर सहित परिषद् मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक उपस्थित थे। समीक्षा बैठक के दौरान समस्त जिलों की कार्य प्रगति, 60 दिवसीय कार्य योजना, एवं भावी क्रियान्वयन रणनीति पर चर्चा की गई।

राजीविका परियोजनाकर्मियों का बिहार में इमर्शन

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् से 6 सदस्यीय टीम ने जीविका, बिहार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय इमर्शन विज़िट में भाग लिया। इमर्शन के दौरान टीम नें बिहार के 3 ब्लॉक नालन्दा, राजगीर तथा गया जिले का भ्रमण कर परियोजना क्रियान्वयन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की।

वित्तीय समावेशन हेतु राजीविका के बढ़ते कदम

समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वित्तीय समावेश एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यह कहना अतिश्योक्ति न होगी कि आजीविका परियोजनाओं की सफलता सुदृढ़ वित्तीय समावेशन की नींव पर आधारित है। वित्तीय समावेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राजीविका ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं।

1. सुदृढ़ रूप से एसएचजी का बैंकों से जुड़ावः-

(क) एसएलबीसी एसएचजी उप समिति का गठनः– बैंकों से जुड़ाव, राज्य में चल रहे सभी आजीविका परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। उक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर एसएलबीसी एसएचजी उप समिति का गठन किया गया है। समिति का प्रमुख कार्य राज्य में एसएचजी बैंक लिंकेज में सहयोग करना, नीतिगत समस्याओं को दूर करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एसएचजी संबंधित नीतियों को लागू कराना आदि है। समिति के अध्यक्ष–प्रमुख शासन सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) हैं तथा राज्य में कार्य कर रहे सभी प्रमुख बैंकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को भी सदस्य बनाया गया है।

(ख) जिला स्तर पर एसएचजी उप समितिः– एसएचजी बैंक लिंकेज को लक्षित एवं प्रभावी तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक एसएचजी उप समिति का गठन किया गया है।

(ग) जिलेवार क्रेडिट लिंकेज लक्ष्य (टारगेट):– राजीविका एवं नाबार्ड द्वारा राज्य में एसएचजी बैंक लिंकेज लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। इस प्रक्रिया की मुख्य विशेषता यह है कि योजना का लक्ष्य निर्धारण (Bottom of Planning) के तहत किया गया है। यह सभी लक्ष्य एसएलबीसी द्वारा सभी अग्रणी बैंक कार्यालयों को प्रेषित कर दिए गए हैं। जिसमें जिले के कार्यरत प्रमुख बैंको और एसएचजी संबधित विभागों को शामिल किया गया है।

(घ) एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए समान प्रारूपः– विभिन्न बैंकों द्वारा अलग–अलग दस्तावेजों की मांग से स्वयं सहायता समूहों को परेशानी का सामना करना पडता हैं। इन परेशानियों से निदान हेतु नाबार्ड, जयपुर द्वारा एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए समान प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें राजीविका ने भी अपनी तकनीकी सहायता प्रदान की। इसका अनुमोदन एसएलबीसी द्वारा किया गया है एवं समस्त बैंकों को इस समान प्रारूप को अपनाने की सलाह दी गई है।

2. लघु वित्त आजीविका नियोजन एवं सामुदायिक निवेश सहयोगः-

समुदाय को वित्तीय रूप में सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राजीविका ने समुदाय आधारित आजीविका निवेश योजना (Micro Credit & Livelihood plan) की कार्य नीति बनाई है। इस नीति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा अपना सूक्ष्म वित्त आजीविका योजना तैयार करना, मूल्यांकन करना, सदस्यों के आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता तय करना, ऋण वापसी योजना आदि कार्य सम्मिलित है। उक्त कार्यों का निष्पादन एवं निर्णय स्वयं सहायता समूह द्वारा ही किया जाता है यद्यपि राजीविका के कार्यकर्त्ता समूहों को इन सभी कार्यों हेतु सशक्त बनाते हैं। इस प्रक्रिया के ज़रिये 1800 से अधिक स्वयं सहायता समूहों एवं 9000 से अधिक सदस्यों को 25 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि द्वारा सामुदायिक निवेश सहयोग दिया जा चुका है।

3. SHG Interest Subvention Scheme:-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु SHG Interest Subvention योजना लागू की गई है। यह योजना राज्य में दो प्रकार से लागू होगी, जो निम्नानुसार हैः–

(क) राज्य के चार जिलों (उदयपुर, दौसा, अलवर और अजमेर):– इन जिलों में सभी महिला स्वयं सहायता समूहों पर लागू होगी और सभी समूहों को बैंको से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में ले पायेंगें। नियमित ऋण चुकौती पर इन समूहों को ब्याज में 3 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। अतः इन चार जिलों में महिला एसएचजी 4 प्रतिशत ब्याज पर बैंकों से ऋण का लाभ ले पायेगें।

(ख) राज्य के अन्य 29 जिलों में एनआरएलएम के अनुकूल महिला स्वयं सहायता समूहों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिससे नियमित ऋण खाताधारक समूह को 7 प्रतिशत तक ब्याज ही देना होगा शेष अन्तर ब्याज राशि का भुगतान परियोजना में से दिया जायेगा।

अनिल कुमार सिंह

विशेषज्ञ (वित्तीय समावेशन), एस.पी.एम.यू., जयपुर।

चूरू जिले में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (TOT) आयोजित

चूरू – प्रभावी समूह संचालन, नियमित लेखा / खाता संधारण व नेतृत्व क्षमता विकास कुछ ऐसे घटक है जो स्वयं सहायता समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व स्वयं सहायता समूह को एक सशक्त सामुदायिक संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए परम आवश्यक है।

जिले में राजीविका आवर्ती परियोजना के तहत गठित व का–ऑप्टेड स्वयं सहायता समूहो के विभिन्न विषयों पर आवर्ती प्रशिक्षणों के लिए राज्य परियोजना प्रबंधक इकाई के निर्देशानुसार बाह्य अनुभवी संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर, एक दिवसीय 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' दिनांक 06.01.2014 को आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संगठनो के प्रतिनिधि, एकल अनुभवी संदर्भ व्यक्ति, व महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक स्तरीय कार्मिकों ने भाग लिया । प्रशिक्षण के प्रारंभ में श्री दीपक कपिला, जिला परियोजना प्रबंधक ने प्रतिभागियों को परियोजना के अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्यो की विस्तृत जानकारी के साथ –साथ परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणों में बाह्य संदर्भ व्यक्तियों की अपेक्षित भूमिका को स्पष्ट किया ।

इसके पश्चात श्री उम्मेद सिंह, प्रबंधक (आजीविका) द्वारा समूह संचालन, खाता व लेखा संधारण तथा नेतृत्व क्षमता विकास विषयों पर प्रशिक्षण का समय, प्रशिक्षण का उद्देश्य, प्रशिक्षण की अवधि व प्रशिक्षण के मॉडूयल पर विस्तृत चर्चा कर प्रतिभागियों की समझ विकसित करने का प्रयास किया गया।

दीपक कपिला
जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, चूरू।

7 जिलों के लिये डी–ब्रीफिंग कार्यशाला का आयोजन

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा सोसायटी फॉर एलीमिनेशन ऑफ रूरल पावर्टी (SERP), हैदराबाद, आंध्रप्रदेश से आये 30 कम्युनिटी रिर्सोस पर्सन (सी. आर.पी.) दलों व प्रोफेशनल रिर्सोस पर्सन (पी.आर.पी.) के लिए, 45 दिनो के सी.आर.पी. राउण्ड की समाप्ति के पश्चात, 8 जनवरी 2014 को डी–ब्रीफिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित इस कार्यशाला में डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमन्द, टोंक व चूरु जिले कें कार्यरत सी.आर. पी. व पी.आर.पी. सहित जिला परियोजना प्रबन्धक व अन्य परियोजनाकर्मियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला में श्री सुबीर कुमार, स्टेट मिशन डायरेक्टर, (राजीविका), डॉ. रश्मि शर्मा, परियोजना निदेशक, डॉ. राकेश मल्होत्रा, एन.एम.एम.यू., के साथ राज्य एवं जिले से कई अधिकारी उपस्थित थे। सर्प, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश से श्री लिंगा गौड़ा, तथा श्री सत्य नारायण ने भी भाग लिया। कार्यशाला में 7 जिलों से आयी 90 सक्रिय महिलायें (वूमॅन एक्टिविस्ट्स) भी उपस्थित थी।

राजस्थान में (SERP), हैदराबाद, आंध्रप्रदेश से आये सी.आर. पी. पिछले 9 माह से स्वयं सहायता समूहों के गठन का कार्य कर रहे हैं। डूंगरपुर, भीलवाड़ा व राजसमन्द में दूसरा, उदयपुर व बांसवाड़ा में तीसरा तथा टोंक व चूरु में चौथा सी. आर.पी. राउण्ड समाप्त हो चुका है। अब तक सी.आर.पी. द्वारा लगभग 2720 समूहों का गठन किया जा चुका है। 1080 समूहों के बैंक में खाते खुलवाये जा चुके हैं तथा 651 सक्रिय महिलाओं (वूमॅन एक्टिविस्ट्स) की पहचान की गई है।

स्वताधिकारी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के लिए प्रकाशक स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् "राजीविका" जयपुर द्वारा प्रकाशित।
प्रकाशक– सुबीर कुमार (आई.ए.एस.), स्टेट मिशन डायरेक्टर (राजीविका)।
सम्पादक– डॉ. रश्मि शर्मा (परियोजना निदेशक)
सह सम्पादक– विजय शर्मा, महाप्रबन्धक (प्रशासन)
संकलन– अंजु बर्क
पता – तृतीय तल, आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
दूरभाष – 0141–2227011, 2227416, फैक्स– 2227723,
website: www.rgavp.org

Printed by: Bhavan Graphic Printers # 09413341320